

विषय सूची

पैरा सं.	शीर्षक	पृष्ठ सं.
	प्राक्कथन	ix
	विशिष्टताएं	xi
अध्याय-1: संघीय वित्त 2016-17 का विहंगावलोकन		
1.1	प्रस्तावना	1
1.1.1	संघ सरकार वित्त का विहंगावलोकन	1
1.1.2	सकल घरेलू उत्पाद	3
1.2	संसाधन का सृजन	5
1.2.1	राजस्व प्राप्तियां	5
1.2.2	राजस्व प्राप्तियां: सकल एवं निवल	6
1.2.3	राजस्व प्राप्तियों के संघटक: बजट अनुमानों तथा वास्तविक आंकड़ों के बीच अंतर	7
1.2.4	कर राजस्व	7
1.2.5	कर- जीडीपी अनुपात (प्रतिशतता में)	9
1.2.6	उपकर संग्रहण	9
1.2.7	गैर-कर राजस्व	10
1.2.8	गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	14
1.2.9	निवेशों पर रिटर्न	15
1.3	व्यय विश्लेषण	17
1.3.1	क्षेत्रीय व्यय	18
1.3.2	राजस्व व्यय	19
(ए)	सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय	20
(बी)	सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय	21
(सी)	आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय	22
1.3.2.1	प्रमुख राजस्व व्यय की प्रवृत्ति	24
(ए)	ब्याज भुगतान	24
(बी)	पेंशन भुगतान	25
1.3.2.2	आर्थिक सहायता प्रबन्धन	26
1.3.3	पूंजीगत व्यय	29
1.3.3.1	जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में व्यय (राजस्व+पूंजीगत)	30

1.3.4	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अंतरण तथा सहायता	31
1.3.5	सरकार के मुख्य फ्लैगशिप कार्यक्रम	33
1.3.6	परिणाम बजट तथ लिंग बजटीकरण का विश्लेषण	34
(i)	चयनित परिणाम बजटों का विश्लेषण	34
(ii)	लिंग आधारित बजट	39
1.3.7	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बच्चों तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र हेतु कल्याण योजना	40
1.4	घाटे	41
(ए)	राजस्व घाटा	42
(बी)	राजकोषीय घाटा	43
(सी)	प्राथमिक घाटा	45
1.5	ऋण प्रबंधन	46
1.5.1	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	49
1.5.2	ऋण स्थिरता	50
(ए)	देयता-जीडीपी अनुपात	50
(बी)	ऋण- जीडीपी अनुपात	51
(सी)	ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों के साथ अनुपात	51
(डी)	औसत ब्याज लागत	52
(ई)	बाजार ऋण की परिपक्वता प्रोफाइल	53
1.5.3	अप्रयुक्त प्रतिबद्ध बाह्य सहायता	54
1.5.4	14वें वित्त आयोग की अनुशंसा की तुलना में निष्पादन	55
1.6	संघ सरकार की गारंटियों में वृद्धि	56
1.7	निष्कर्ष	58
अध्याय-2: वित्त लेखाओं पर टिप्पणियां		
2.1	प्रस्तावना	59
2.2	पारदर्शिता के मुद्दे	59
2.2.1	सरकारी लेखे में अपारदर्शिता	59
(ए)	लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय में अपारदर्शिता	59
(बी)	लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियां में अपारदर्शिता	60
2.2.2	सरकारी लेखे से बाहर पड़ी लोक निधियाँ	61
(ए)	सरकारी लेखाओं के बाहर पड़ी नियामक निकायों की निधियां	61
(बी)	सरकारी खाते के बाहर टीआरएआई सामान्य निधि का प्रतिधारण	63
2.3	लोक लेखे के संबंध में अभ्युक्तियाँ	63

2.3.1	अनुसंधान तथा विकास उपकर निधि के अंतर्गत संग्रहित उपकर का कम उपयोग	63
2.3.2	राष्ट्रीय स्वच्छता कोष	65
2.3.3	माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर	66
2.3.4	राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि	66
2.3.5	केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) को उपकर का कम अंतरण	67
2.3.6	लोक लेखे में अन्य चिन्हित निधियों को उपकर का कम अंतरण	68
2.3.7	आरक्षित निधि से संवितरित राशियों में विसंगतियां	69
2.3.8	बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि में निरंतर प्रतिकूल अंत शेष	70
2.3.9	'6001-106-प्रतिपूर्ति एवं अन्य बॉन्ड' के अंतर्गत बहुत पुराने शेष	71
2.4	डाटा प्रमाणिकता एवं पुर्नमिलान मामले	72
2.4.1	मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बिना सीएफआई को ₹6927 करोड़ का अंतरण	72
(ए)	सुरक्षा प्रतिदान निधि से संबंधित ₹5,000 करोड़ का सीएफआई को अंतरण	72
(बी)	सीएफआई में राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि से संबंधित ₹1,927 करोड़ का अंतरण	73
2.4.2	आरक्षित निधियों से वापसी के लिए अनुचित लेखांकन प्रक्रिया	74
2.4.3	निष्क्रिय आरक्षित निधियां और जमा	76
2.4.4	अन्य विसंगतियां	76
2.4.4.1	गारंटी शुल्क में विसंगतियां	76
(ए)	गारंटी शुल्क दर्शाने का मेल न खाना	77
(बी)	गारंटी शुल्क की कम प्राप्ति	77
2.4.4.2	संघ सरकार के वित्त लेखे की विवरणी सं. 11 में कमियां	77
(ए)	वित्त लेखाओं और विनियोग लेखाओं के अनुबंध-ग में निवेश को दर्शाने में भिन्नता	79
(बी)	₹1,182.39 करोड़ के निवेश का कम बताया जाना	81
(सी)	निवेश की अपूर्ण सूचना	81
(डी)	सांविधिक कम्पनियों के संबंध में लाभांशों के भुगतान में कमी	82
2.4.4.3	बकाया ब्याज भुगतान	83
2.4.4.4	संघ सरकार के वित्त लेखे की विवरणी सं. 15 में विसंगतियां/कमियां	83
(ए)	कर्ज तथा अग्रिमों के लेखांकन में असंगतियां	84

(बी)	सरकारी कर्मचारियों को कर्ज एवं अग्रिम	84
(सी)	कर्जों तथा अग्रिमों के प्रतिकूल शेषों के प्रति क्रेडिट किया गया ब्याज	85
(डी)	कर्जों तथा अग्रिमों के प्रतिकूल शेषों के प्रति पुनर्भुगतान	86
(ई)	कर्ज तथा अग्रिम के अंत शेष में अंतर	86
(एफ)	ऋणों के बकायों के संबंध में ब्याज को न दर्शाया जाना	87
(जी)	20 वर्षों से अधिक के लिए बकाया में ऋण तथा अग्रिम	88
2.4.5	सीमा-शुल्क प्राप्तियों का कम बताया जाना	88
2.5	लेखाओं की परिशुद्धता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक	89
2.5.1	मुख्य उचंत लेखाओं के अन्तर्गत बकाया शेष	89
2.5.2	ऋण, जमा एवं प्रेषण (डीडीआर) शीर्षों के अंतर्गत अधिक प्रतिकूल शेष	97
2.5.3	'चैक एवं बिल' शीर्ष के अन्तर्गत बकाया शेष	98
2.5.4	प्रधान लेखा कार्यालयों द्वारा शेषों की न की गई संवीक्षा	100
2.6	विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रम-प्रोफॉर्मा लेखाओं की स्थिति	101
2.7	हानियाँ तथा गैर-वसूलनीय प्राप्यों को बट्टे खाते में डालना/माफ करना	102
2.8	निष्कर्ष	102
अध्याय-3: विनियोग लेखे: 2016-17		
3.1	प्रस्तावना	104
3.2	2016-17 के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों तथा बचतों का सारांश	105
3.3	प्रभारित तथा दत्तमत संवितरण	107
3.4	अधिक संवितरण वाले अनुदान/विनियोग	109
3.5	अनुदानों में निरंतर आधिक्य	111
3.6	लघु/उपशीर्ष-वार आधिक्य व्यय	112
3.7	अनुदानों/विनियोगों में ₹100 करोड़ अथवा अधिक की बचत	113
3.8	बचतों का अभ्यर्पण (संपूर्ण)	114
3.9	वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन बचतों का अभ्यर्पण (अनुदान-वार)	115
3.10	अवास्तविक बजटीय प्रक्षेपणों के कारण बड़ी अनुपूरक अनुदानें (मूल प्रावधान के 40 प्रतिशत से अधिक)	115
3.11	अनावश्यक नकद अनुपूरक प्रावधान (अनुदान-वार)	118

3.12	लघु/उप-शीर्षों को अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन (₹ 5 करोड़ से अधिक)	120
3.13	लघु/उप-शीर्षों से अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग (₹ 5 करोड़ से अधिक)	120
3.14	उप-शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान	120
3.15	संपूर्ण प्रावधान की बचत (उप-शीर्ष वार)	121
3.16	एक उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक की बचत	122
3.17	निरंतर बचत (उप-शीर्ष वार)	124
3.18	मार्च तथा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान अंधाधुंध व्यय	125
3.19	रक्षा सेवाएं अनुदानों में निरंतर बचत (लघु शीर्ष-वार)	128
3.20	रक्षा सेवा अनुदानों में बचतों का अभ्यर्पण	128
3.21	निष्कर्ष	129
अध्याय-4: विनियोग लेखे: विनियोग लेखे पर टिप्पणियां		
4.1	प्रस्तावना	130
4.2	भारतीय संविधान के भाग 114(3) का उल्लंघन - सीबीडीटी द्वारा करों की वापसी पर ब्याज पर किया गया व्यय	130
4.3	प्रावधान के संवर्धन हेतु वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने में विफलता	132
4.3.1	वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान-सामान्य' के लिए प्रावधान में संवर्धन	132
4.3.2	वस्तु शीर्ष '35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के प्रावधान का संवर्धन	134
4.3.3	वस्तु शीर्ष '36-सहायता अनुदान-वेतन' के प्रावधान का संवर्धन	136
4.3.4	वस्तु शीर्ष '33-सब्सिडी' के प्रावधान का संवर्धन	137
4.3.5	वस्तु शीर्ष '53-मुख्य निर्माण कार्य' के प्रावधान का संवर्धन	139
4.4	पूंजीगत लेखे के बजाय राजस्व लेखे के अंतर्गत तथा प्रतिक्रम में व्यय का गलत वर्गीकरण	140
4.4.1	पूंजीगत व्यय के बजाय राजस्व व्यय में गलत वर्गीकरण	140
4.4.2	राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण	142
4.4.3	गलत वर्गीकरण के अन्य मामले	143
4.5	गलत वर्गीकरण के अन्य मामलें	148
4.5.1	वस्तु शीर्ष 'सहायता अनुदान वेतन' का संचालन न होना	148

4.5.2	अनुदान के एक ही प्रभाग के अंतर्गत वस्तु शीर्षों में गलत वर्गीकरण	148
4.5.3	गलत लघु लेखा शीर्ष के अंतर्गत 'विशेष केन्द्रीय सहायता' दर्ज करना	162
4.6	एकमुश्त अनुपूरक प्रावधान प्राप्त करने के माध्यम से अप्राधिकृत संवर्धन	163
4.7	सूचना प्रौद्योगिकी पर किए गए व्यय को दर्ज करने के लिए विस्तृत शीर्ष '99-सूचना प्रौद्योगिकी' का संचालन न किया जाना	168
4.8	जल उपकर का गलत उपयोग	169
4.9	प्रासंगिक उप-शीर्ष का संचालन न किए जाने के कारण व्यय का गलत वर्गीकरण	171
4.10	वेतन व्यय का गलत वर्गीकरण	172
4.11	रक्षा पेंशन पर व्यय को कम बताया जाना	172
4.12	लघु शीर्षों के अंतर्गत व्यय का गलत वर्गीकरण	173
	रक्षा अनुदान	
4.13	पूँजीगत अनुदान से राजस्व अनुदान में निधियों का अप्राधिकृत अंतरण	174
4.14	वर्ष 2016-17 के लिए पेयजल और स्वच्छता विभाग के चयनित वाऊचरों की जाँच	175
4.15	निष्कर्ष	176
	अध्याय 5: चयनित अनुदानों की समीक्षा	
5.1	अनुदान सं. 15: इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	177
5.1.1	प्रस्तावना	177
5.1.2	बजट, व्यय एवं बचत	177
5.1.3	अभ्यर्पित न की गई बचत तथा उन्हें व्यपगत होने दिया	178
5.1.4	अवास्तविक बजटीय प्रक्षेपणों के कारण बड़े अनुपूरक अनुदान	179
5.1.5	उप-शीर्ष के अंतर्गत संपूर्ण प्रावधान का उपयोग न होना	181
5.1.6	निधियों का उपशीर्षों में अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग	182
5.1.7	उपशीर्षों के अंतर्गत निरंतर बचत	183
5.1.8	निधियों की उपयोगिता	185
5.1.9	रोकड़ प्रबंधन प्रणाली	187
5.1.10	रिक्त पदों के लिए बजट प्रावधान	188

5.2	अनुदान सं. 25: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	189
5.2.1	प्रस्तावना	189
5.2.2	बजट, व्यय तथा बचत	189
5.2.3	अवास्तविक बजटीय अनुमानों के कारण बड़े अनुपूरक अनुदान	190
5.2.4	उप-शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान	191
5.2.5	संपूर्ण प्रावधान की बचत	192
5.2.6	₹10 करोड़ (उप-शीर्ष स्तर) से अधिक बचत	193
5.2.7	बचतों का अभ्यर्पण	194
5.3	अनुदान सं.61 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	194
5.3.1	प्रस्तावना	194
5.3.2	बजट, व्यय एवं बचत	195
5.3.3	वित्त वर्ष के अंत में अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण	196
5.3.4	₹100 करोड़ अथवा अधिक की बचत	196
5.3.5	अवास्तविक बजटीय प्रक्षेपणों के कारण बड़ी अनुपूरक अनुदान	197
5.3.6	₹ एक करोड़ से अधिक की बचत (उप-शीर्ष स्तर)	198
5.3.7	वित्त वर्षों के बिल्कुल अंत में पुनर्विनियोजन के अत्यधिक आदेश जारी करना	199
5.3.8	बकाया उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी)	200
5.4	अनुदान सं.95: शहरी विकास मंत्रालय	201
5.4.1	प्रस्तावना	201
5.4.2	बजट, व्यय एवं बचत	202
5.4.3	अनावश्यक अनुपूरक अनुदान	202
5.4.4	अव्ययित प्रावधान के अभ्यर्पण में विलम्ब	203
5.4.5	अवास्तविक बजट	204
5.4.6	वर्गीकृत सार तथा नियंत्रण पंजिका/सहायता अनुदान पंजिका में दर्शाए गए व्यय का समाधान न होना	205
5.4.7	बकाया उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी)	206
5.5	निष्कर्ष	207

	अनुबंध	
	अनुबंध 1.1	209
	अनुबंध 2.1	210
	अनुबंध 2.2	211
	अनुबंध 2.3	212
	अनुबंध 2.4	213
	अनुबंध 2.5	215
	अनुबंध 2.6	217
	अनुबंध 2.7	219
	अनुबंध 2.8	221
	अनुबंध 2.9	223
	अनुबंध 2.10	227
	अनुबंध 2.11	230
	अनुबंध 3.1	231
	अनुबंध 3.2	234
	अनुबंध 3.3	236
	अनुबंध 3.4	237
	अनुबंध 3.5	241
	अनुबंध 3.6	245
	अनुबंध 3.7	251
	अनुबंध 3.8	252
	अनुबंध 3.9	256
	अनुबंध 3.10	258
	अनुबंध 3.11	259
	अनुबंध 3.12	265
	अनुबंध 3.13	268
	अनुबंध 3.14	282
	अनुबंध 4.1	284
	अनुबंध 4.2	288
	अनुबंध 5.1	302
	शब्दावली	305